दिनांक–17.06.2016 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में अपर समाहर्त्ताओं के साथ सम्पन्न विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– यथापंजी अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में अपर समाहर्त्ताओं के साथ विभागीय समीक्षात्मक परिचर्चा एवं बैठक की कार्यवाही के क्रियान्वयन की समीक्षा की गयी।

1. **अभियान भूमि दखल–देहानी** :– इस अभियान की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रधान सचिव द्वारा प्रमंडलों में बैठक के दौरान यह बात प्रकाश में आता है कि बहुत से ऐसे पर्चाधारी है जिनको कि अभी तक भूमि का कब्जा नहीं मिला है। इस पर प्रधान सचिव सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेश दिया कि जिन लाभूकों को भूमि का कब्जा अबतक नहीं मिला है उसे हर हाल में 30 सितम्बर, 2016 तक पूर्ण कर लिया जाय अन्यथा इसे गंभीरता से लिया जायेगा।

इस संबंध में समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि प्रपत्र एक/दो/तीन में भागलपुर/कटिहार/खगड़िया/पटना एवं वैशली की स्थिति सतोषप्रद है। इस संबंध में निदेशित किया गया कि इस कार्य को और भी गंभीरता से लिया जाय।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी – 7/8 एवं सभी जिला)

2. **अभियान बसेरा** :– इस अभियान की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेशित किया गया कि मई माह तक का प्रतिवेदन वेवसाईड पर दिनांक 21.06.2016 तक अचूक रूप से अपलोड का कार्य पूर्ण करावें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि शहर/सड़क के किनारे जो भी गरीब गुरबा बस जाते है वैसे लोगों को चिन्हित कर अभियान बसेरा योजना अन्तर्गत अभियान चलाकर ऐसे ग्रामीणों को बसाने का कार्य करें।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी – 7 एवं सभी जिला)

3. **दाखिल–खारिज** :– समीक्षा के दौरान पाया गया कि दाखिल खारिज का कार्य प्रगति पर है। किन्तु सही समय पर अपलोड नहीं किया जाता है। सभी अपर समाहर्त्ता को यह निदेश दिया गया कि सही समय पर अपलोड करायें।

दाखिल–खारिज का कार्य कार्य दिवस के दिन ही तिथि एवं दिवस निर्धारित करते हुए कैम्प लगाकर इस कार्य को ससमय पूर्ण किया जाय एवं अवैध वसूली पर सतत निगरानी रखा जाय। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि इस मामले को सम्बन्धित जिला पदाधिकारी भी गंभीरता से ले और निगरानी रखें। साथ ही दाखिल खारिज का कितना आवेदन अस्वीकृत होता है ऐसे आवेदनों को देखें कि किस कारण अस्वीकृत हुआ इसकी गहन जॉच करें।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी – 9 एवं सभी जिला)

4. **न्यायालय** :– समीक्षा के दौरान पाया गया कि सी0डब्लु0जे0सी0 के मामले में औरंगावाद में 12 मामले/अररिया में 03/भागलपुर 10/खगड़िया 11/मधेपुरा 10/मधुवनी18/नवादा 6 पूर्णिया 26 रोहतास 17 सहरसा 12 समस्तीपुर 117 सारण 09 शिवहर 03 सीतामढी 16 सिवान 06 सुपौल 15 वैशाली 13 मामले लंबित है निदेश दिया गया कि इसे जून माह में पूर्ण करावें। इसी तरह एम0 जे0 सी0 में

P.T.O

राज्य में कुल 18 मामले लंबित है जिसे पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। इसी तरह एल0 पी0 ए0 में जिसके पास जो भी मामला लंबित है उसे हर हाल में मामले का निस्तार कराने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी – 11 एवं सभी जिला)

5. **AC/DC Bill** :– समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्य सरकार का इस मद में 37,94,62,587/– रूपए लंबित है। निदेश दिया गया कि लम्बित AC/DC Bill को शीघ्र समायोजित किया जाय।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी – 5 एवं सभी जिला)

6. **अनुमंडल स्तर पर न्यायालयों का निर्माण** :– समीक्षा के क्रम में यह बताया गया कि दिनांक 23.06.2016 को उच्च न्यायालय में एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें न्यायालय के तीन न्यायाधीश एवं एक रजिस्ट्रार एवं विभाग के तीन पदाधिकारी थे और इस बैठक में न्यायालय द्वारा सरकारी भूमि की मॉग आवास के निर्माण हेतु मॉग की गयी है तो इसके लिए अपने अपने जिले में सरकारी भूमि अगर है तो चिहिंत कर रेट का निर्धारण करते हुए दिनांक 25.06.2016 तक विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध करावें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी – 5 एवं सभी जिला)

7. **विभागीय कार्यवाही** :– समीक्षा के दौरान निदेशित किया गया कि चाहे जिस कारण से विभागीय कार्यवाही चल रही है इसे अविलम्ब कार्य को पूर्ण करावें अगर आरोप अप्रमाणित होती है तो अपने मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

(कार्रवाई– निगरानी कोषांग एवं सभी जिला)

8. **National Population Register (NPR)** :– इस संबंध में बताया गया कि यह कार्य 31 जनवरी, 2016 से किया जा रहा है जिसे अब तक पूर्ण नहीं किया गया है जिलावार समीक्षा के क्रम में सबसे अच्छा कार्य अरवल का पाया गया जहॉ कि 99.7 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।इस संबंध में सभी अपर समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि इस कार्य को 30.06.2016 तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– प्रशाखा पदाधिकारी–4 एवं सभी जिला)

9. **बिहार रैयती लीज नीति** :– इस सम्बन्ध में बताया गया कि भू–अर्जन की धारा–104 के अन्तर्गत रैयती भूमि लीज नीति बनायी गयी है। अगत किसी विभाग या संस्थान को लीज नीति के अन्तर्गत भूमि लेना है तो सीधे रैयत से बात करें और सहमति प्राप्त कर इसका विज्ञापन निकाले ताकि किसी को आपत्ति होने पर वे अपना आपत्ति दे सके। इस कार्य में जिलाधिकारी की भूमिका यह होगी कि रैयती/स्वामित्व एवं विभाग/संस्थान को सहमति बनावे एवं दोनों के बीच रेट का निर्धारण करें एवं रेट का निर्धारण में यह ध्यान रखें कि रेट का निर्धारण एम0भी0आर0 के चार गुणज पर हो और इस कार्य में राजस्व विभाग के पदाधिकारी भी रहेंगे। साथ ही लीज लेने के बाद न्यूनीकरण का कार्य करें जो एक बार में 25 वर्षों के लिए लगान लेसी अर्थात् खरीददार विभाग/संस्थान से जमा करना होगा और इसका रिकार्ड अंचलाधिकारी रखेंगे और उक्त भूमि में जमीन का रकवा को घटायेंगे और इसे लाल स्याही से अंकित करेंगे। और इसका प्रतिवेदन अपर समाहर्त्ता को भेजेंगे। अपर समाहर्त्ता अपने कार्यालय में पंजी का संधारण पर एन0आर0 से भुगतान करायेंगे।

यह भी निदेशित किया गया कि भू–अर्जन की जो भी राशि है उसे 2029 हेड में जमा करावें।

P.T.O.

बैठक के क्रम में यह भी निदेशित किया गया कि अगत महादलित संपर्क पथ में अगर लीज नीति पर भूमि लेते है तो उसका अभिलेख अपर समाहर्त्ता स्वयं अपने कार्यालय में रखेंगे।

10. **भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण योजना** :– भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत कुल 25 जिलों का डाटा विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित कर दिया गया है जिसमें से 17 जिलों का डाटा पूर्ण रूप से विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित है तथा 08 जिलों का डाटा आंशिक रूप से विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया गया है। कतिपय जिलों में डाटा इन्ट्री का कार्य पूर्ण कर लिया गया है परन्तु विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित नहीं किया गया है।

बैठक में निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप इस योजना के अन्तर्गत पंचशील सॉफ्टवेयर, भोपाल द्वारा किए गए कार्यों के आलोक में भुगतान के संबंध में समीक्षा की गई। समीक्षा में यह बात प्रकाश में आयी की इस योजना के अन्तर्गत एजेंसी द्वारा किए गए कार्यों के आलोक में कतिपय जिलों में भुगतान लंबित है।

बैठक में यह भी चर्चा किया गया की उक्त योजना के अन्तर्गत विभिन्न एजेंसियों का चयन एवं एकरारनामा जिला स्तर पर किया गया है। इसके संबंध में नियम संगत एवं एकरारनामा के शर्त्तों के आलोक में जिला स्तर पर निर्णय लिया जाना श्रेयस्कर होगा तथा इस कार्य हेतु अनावश्यक रूप से निदेशालय को शामिल किया जाना समय व्यर्थ करने जैसा है।

केन्द्र प्रायोजित योजना NLRMP के अन्तर्गत भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना काफी पुरानी है तथा इस योजना का समीक्षा भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। विभिन्न विडियो कान्फ्रेंसिंग/बैठक में भारत सरकार द्वारा इस योजना के पूरा नहीं होने पर काफी खेद व्यक्त किया गया है।

वर्णित परिस्थिति में बैठक में उपस्थित सभी अपर समाहर्त्ताओं को निम्न निदेश दिया गया :–

(1) इस योजना का भौतिक प्रतिवेदन नियमित रूप से अपर समाहर्त्ताओं की राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक के निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।

(2) इस योजना के अन्तर्गत किए गए डाटा इन्ट्री का अंचलवार डाटा सी0डी0 विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु शीघ्र निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।

(3) भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना का कार्य विशेष ध्यान देते हुए प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया।

(4) प0 चम्पारण एवं पटना जिला को उक्त योजना से संबंधित 25 बिन्दु चेकलिस्ट शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(5) निदेशालय के पत्रांक–1992 दिनांक 10.11.2015 के अनुपालन में उक्त योजना से संबंधित वित्तिय प्रतिवेदन शीघ्र निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(6) इस योजना से संबंधित जिला कार्यान्वयन समिति की बैठक का अद्यतन प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।

P.T.O.

(7) केन्द्र प्रायोजित योजना NLRMP से संबंधित भारत सरकार द्वारा निर्मित Portal पर MIS Entry का कार्य शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया। इस कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिनांक 15.06.2016 निर्धारित किया गया है।

(8) विभिन्न जिलों में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु चयनित एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों के आलोक में एकरारनामा के शर्त्तों के अनुसार भुगतान शीघ्र किया जाए तथा भुगतान संबंधी प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।

11. डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन निर्माण :– केन्द्र प्रायोजित योजना NLRMP के अन्तर्गत राज्य के सभी अंचलों में डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

बैठक में समीक्षोपरान्त यह बात प्रकाश में आयी की राज्य के 35 अंचलों में स्थल अनुपलब्धता के कारण भवन निर्माण कार्य बाधित है। वर्णित परिस्थिति में संबंधित जिला के अपर समाहर्त्ता संबंधित अंचलाधिकारी से वार्त्ता कर भवन निर्माण कार्य हेतु स्थल शीघ्र उपलब्ध करायेंगे तथा भवन निर्माण कार्य का आवश्यक निरीक्षण भी करेंगे। इसकी सूचना नियमित रूप से निदेशालय को भी उपलब्ध करायेंगे।

भवन निर्माण विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार 300 अंचलों में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन निर्माण के उपरान्त भवन प्राप्त करने हेतु निदेशालय के पत्रांक 1763 दिनांक 18.09.2015 द्वारा विहित प्रपत्र में Building Take Over कर इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। उक्त के आलोक में प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराने का भी निदेश दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

<u>बिहार सरकार</u>
<u>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग</u>

ज्ञापांक–10/सम0अ0स0(बैठक)कार्यवाही–43/2014–908(10)**/रा0,पटना–15, दिनांक**–04-07-16

ई–मेल
फैक्स

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/ सभी विभागीय पदाधिकारीगण/सभी प्रशाखा पदाधिकारीगण, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव।